



कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- अजमेर में नगर पालिका पुष्कर का सहायक लेखाधिकारी-II 55 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, 04 अप्रैल, गुरुवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा-प्रथम इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी-II, नगर पालिका पुष्कर, जिला अजमेर को परिवादी से 55 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा-प्रथम इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म कराये गये निर्माण कार्यों के बकाया बिलों के भुगतान करने एवं एस.डी.राशि रिफंड करने की एवज में आरोपी दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी-II, नगर पालिका पुष्कर, जिला अजमेर द्वारा 80 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के सुपरवीजन में एसीबी भीलवाड़ा-प्रथम इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उप अधीक्षक पुलिस श्री पारसमल द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी दीपक अग्रवाल सहायक लेखाधिकारी-II को परिवादी से 55 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी द्वारा शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 25 हजार रुपये रिश्वत के रूप में वसूल कर लिये थे।

एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाइन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाइन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।